09/02/23 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। पत्रावली, पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेज व न्याय के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन उपरांत प्रा. पत्र धारा 131/136 भू-रा. अधि., 1956 सामित तमों पर स्वीकार किया जाता है। यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से टंकित करवाया जाकर शा. कि. किया गया। तहसीलदार, कि. रेनवाल को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

09/02/23

Signature Not Verified

Digitally signed by Jayant Kumar
Date: 2023.09.26 12:03:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned with OKEN Scanner